जन प्रेरित अभियान .
सर्मथ बस्तर के लिए लोक नियोजन

1. वन और वन उपज

1.1.बस्तर जिले में वनों की प्रमुख विशेषताएं

- बस्तर जिले का कुल वन क्षेत्र विभिन्न अनुमानों के अनुसार कुल क्षेत्रफल के एक तिहाई का लगभग आधा है।
- वन प्रमुख गैर वन उपज लकड़ी, तेंदू पट्टा, महुआ, इमली, साल बीज और चिरौंजी आदि हैं। वन कई औषधीय और सुगंधित पौधों से भी समृद्ध हैं।
- वनवासियों को स्वामित्व प्रदान करने के लिए वनों के अधिकार अधिनियम प्राविधानों का कार्यान्वयन क्षेत्र के अनुसार प्रगति के विभिन्न चरणों में है।
- खनन गतिविधि के विस्तार और औद्योगीकरण के कारण वन आच्छादन की संभावित हानि एक खतरा है। संतुलित विकास पर नीतिगत दिशा निर्देशों की आवश्यकता है जो न केवल आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान में रखें बल्कि सामाजिक प्रभाव, जो विशेष रूप से वनवासी समुदायों के जीवन पर पड़ता है को गम्भीरता से देखे।
- वनवासियों को मामूली वनोपज इकट्ठा करने के अधिकारों का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाया है हालाँकि कुछ मामलों में इस स्रोत से आय, उनकी कुल आय का एक तिहाई से आधी हो सकती है।

1.2.क्षमतायें और संभावनाएँ

- वनवासियों के लिए लघु वन उपज का प्रसंस्करण आय का एक अच्छा स्रोत हो सकता है। इसके लिए मूल्य श्रृंखला में उनकी भूमिका केवल व्यापारियों के लिए संग्रह और बिक्री तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्हें प्रसंस्करण श्रृंखला में शामिल होना चाहिए और बिचौलियों की भूमिका को कुछ हद तक प्रतिबंधित करने में भी सक्षम होना

चाहिए। सामुदायिक समूहों द्वारा वन उपज का प्रसंस्करण और विपणन प्राकृतिक पूंजी के सही प्रबंधन का सबसे अच्छा उदाहरण होगा। जो सामुदायिक कार्रवाई के लिए एक साधन के रूप में सेवारत है और इस प्रकार सामुदायिक पूंजी को मजबूत करता है।

- एस.एच.जी. या प्रोसेसर समूहों का एक महासंघ बनाया जा सकता है जो सरकारी एजेंसियों जैसे वनोपज महासंघ से समूहों के प्रतिनिधि के रूप में समन्वय स्थापित कर सकता है। यह विशिष्ट एजेंसियों के माध्यम से विपणन, ब्रांडिंग आदि सहित केंद्रीकृत कार्यों को भी आयोजित कर सकता है।
- औषधीय और सुगंधित पौधे न केवल वनवासियों के लिए बल्कि मूल्य श्रृंखला में सभी हित धारकों के लिए आय का एक अच्छा स्रोत हो सकते हैं।
- वन उपज वनवासी समुदाय के लिए पोषण संबंधी खाद्य पदार्थों का एक अच्छा स्रोत हो सकता है और कुछ उत्पादों को आंगनवाड़ियों और स्कूलों में वितरित किया जा सकता है। यह कुपोषण से निपटने में मदद कर सकता है और इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर शुरू किए जा रहे कुपोषण के खिलाफ मिशन में योगदान दे सकता है।
- खेती के लिए वन अधिकारों का उपयोग धान और अन्य पारंपरिक फसलों की खेती तक सीमित करने के बजाय बागवानी फसलों को विकसित करने के लिए परिवर्तन के रूप में किया जा सकता है।

1.3. मौजूदा योजनाएँ और व्यवस्थाएँ

ज़िले में पंद्रह प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों का गठन किया गया है। जिनका उद्देश्य वनोपज के प्रसंस्करण और संग्रहण के लिए बिक्री करना है। प्राथमिक समितियां अपना एक जिला स्तरीय संघ बनाते हैं जो राज्य स्तरीय सर्वोच्च निकाय से जुड़ा होता है। यह संगठन औषधीय अर्क सहित वन उपज से संसोधित आइटम बेचता है और राज्य भर में इसके आउटलेट हैं। घोटिया और आसन में इमली तथा कुरुंडी में औषधीय पौधों के लिए प्रसंस्करण इकाई है। इसी प्रकार काजू के प्रसंस्करण केंद्र राजनगर में स्थापित किए गए हैं। हालांकि प्रसंस्करण सुविधाओं को अन्य केंद्रों तक विस्तारित करने की आवश्यकता है और विपणन प्रयासों को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। कुछ वस्तुओं की पैकिंग को भी अधिक आकर्षक और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है।

वन अधिकार अधिनियम के तहत दी गई भूमि पर काम के लिए योजनाएँ भी तैयार की गई हैं। एफआरए होल्डिंग्स पर गतिविधियों के लिए मनरेगा योजना के तहत अतिरिक्त दिन भी प्रदान किए गए हैं।

हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) कोष के तहत केंद्र से 5792 करोड़ स्वीकृत धन का उपयोग प्रतिपूरक वनीकरण, वन विकास, वनों की उत्पादकता बढ़ाने, वन संरक्षण से संबंधित कार्यों, वन्यजीव प्रबंधन और संरक्षण, भूजल संरक्षण, जैव विविधता और बुनियादी ढांचे के विकास आदि के लिए किया जाएगा।

1.4. क्षमताओं की कम उपलब्धि के कारण

1.4.1. नियंत्रण का पैटर्न

जंगल के पारंपरिक निवासी – मुख्य रूप से आदिवासी समूहों का वन संसाधनों पर सीमित नियंत्रण है। विभिन्न अधिकारों की परवाह किए बिना वैधानिक रूप से ब्यवहार में मामूली वन उपज इकट्ठा करने का अधिकार निर्वाह मजदूरी अर्जित करने के सर्वोत्तम अधिकार में अनुवादित हो जाता है। जंगल में रहने वाले केवल एक निर्वाह मजदूरी के बराबर में उसके द्वारा एकत्र की गई कीमती वन उपज को सरकारी एजेंसियों या व्यापारियों को सौंप देते हैं। उपज से लाभ प्राप्त करने का प्रभावी अधिकार सीधे या मूल्य संवर्धन के माध्यम से सरकार या ठेकेदारों और व्यापारियों के साथ निहित है।
व्यक्तिगत रूप से, मामूली वन उपज के संग्रहकर्ता बातचीत करने और व्यापारियों से बेहतर सौदा पाने की स्थिति में नहीं हैं। संगठित बाजारों में कुछ उपज द्वारा प्राप्त कीमतों के बारे में जानकारी की अनुपस्थिति भी उन्हें अपनी उपज के वास्तविक मौद्रिक मूल्य का आंकलन करने से रोकती है। इसके अलावा, चूंकि उनमें से ज्यादातर एकत्र कच्चे माल को व्यापारियों या साप्ताहिक हाट में बेचते हैं इसलिए उनकी कमाई इस श्रोत से सीमित है। जब तक वे उपज को बेचने और बेचने की प्रक्रिया में सक्षम नहीं होते तब तक संग्रहकर्ताओं को कच्चा सौदा ही मिलता रहेगा। प्रसंस्करण को पूरा करने, मूल्य श्रृंखला के अगले स्तर और बाजारों तक पहुंचने में सक्षम होने के लिए, अपने प्रयासों के बेहतर पारिश्रमिक प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होंगे और व्यापार पर नियंत्रण व्यापारी और ठेकेदार के पास ही रहेगा। ।

विभिन्न क्षेत्रों में वन अधिकार अधिनियम 2006 का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है। कुछ स्थानों पर लोगों को अधिकार दिए गए हैं लेकिन ऐसे भी गाँव हैं जहाँ अभी तक विभिन्न कारणों से यह अधिकार नहीं दिए गए हैं। इस प्रक्रिया में यह पाया गया है कि सामान्य तौर

से अधिकारी सहयोगी रहे। एक समूह के रूप में वनवासियों के सीमित ज्ञान और शक्ति का उपयोग मौजूदा अड़चनों को दूर कर समस्याएँ हल करने में हो सकता है।

1.4.2. संस्थागत क्षमता

वन निवासी आधुनिक वाणिजिक गतिशीलता से अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं और उनमें से अधिकांश में व्यवसाय को अपने दम पर करने के कौशल की कमी है। वाणिज्य के साथ उनका एकमात्र परिचय तब होता है जब वे अपनी उपज व्यापारियों को या साप्ताहिक बाजारों में बेचते हैं और अपनी दिन–प्रतिदिन की आवश्यकताओं को खरीदते हैं। लेन–देन की प्रचलित व्यवस्था एवं शर्तों के कारण अधिकांश लेन–देन के साथ मूल्य निर्धारण में उनकी सहमति प्रायः नगण्य होती है। अतः इस स्थिति में किसी भी व्यावसायिक गतिविधि को बड़े पैमाने पर शुरू करने के लिए उन्हें सामूहिक प्रयास के माधयम से शुरू करना ही अपेक्षित है। क्योंकि समूह द्वारा सामूहिक प्रयास के माधयम से वन उपज का प्रसंस्करण और बिचौलियों की भूमिका को कुछ हद तक सफलतापूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रयास के सफल क्रियान्वयन हेतु उत्पाद प्रोसेसर समूहों को प्रसंस्करण गतिविधि, अल्पविकसित विपणन और प्रबंधन पर प्रशिक्षित करेने हेतु काफी प्रयास करना होगा। इस के लिए संस्थागत समर्थन की आवश्यकता होगी। हालांकि ज़िले में ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसने इस भूमिका को बड़े पैमाने पर पूर्व में स्वीकार किया हो। अतः स्वयं सहायत समूह के नेटवर्क का इस्तेमाल एक पहल के रूप में किया जा सकता है। सरकारी मशीनरी जैसे "इमलीआन्दोलन" के पिछले प्रयास भी उम्मीद जगाते हैं कि सरकार किसी न किसी रूप में इस तरह की पहल का समर्थन कर सकती है। हालांकि इमलीआन्दोलन परिकल्पित रूप में जारी नहीं रह सका है। भविष्य में इस तरह के प्रायसों की पहल के लिए सबक लेने हेतु इसका अध्ययन किया जा सकता है।

सरकार द्वारा प्रवर्तित वनोपज महासंघ के रूप में वर्तमान में संस्थागत ब्यवस्था मौजूद है, जिसे बड़े पैमाने पर छोटे समूहों के समर्थन के लिए भी संपर्क किया जा सकता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वनोपज महासंघ के संचालन का विस्तार विपणन और ब्रांडिंग की प्रक्रिया को शामिल करने हेतु किया जा सकता है।

1.4.3. वित्तीय प्रावधान की पर्याप्तता

संस्थागत ब्यवस्था में वन उपज के सामुहिक प्रसंस्करण के लिए वित्त एक प्रमुख अवरोधक है। प्रारम्भिक अवलोकन में ऐसा प्रतीत होता है कि जिला अथवा राज्य स्तर पर इस प्रकार के वित्त स्रोत का आभाव है। अभी तक किसी संस्थागत गतिविधि हेतु इस प्रकार की ब्यवस्था

के अभाव को महसूस नहीं किया गया है। अतः संस्थागत ब्यवस्था की स्थापना के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी।

1.4.4. सुझाव

- मौजूदा एस.एच.जी. के माद्यम से प्रसंस्करण गतिविधि को छोटे पैमाने पर शुरू किया जा सकता है। यदि एस.एच.जी. ऐसे काम के लिए उपलब्ध नहीं हैं तो प्रसंस्करण के लिए पुरुषों के छोटे समूहों के साथ–साथ महिलाओं के समूहों का भी गठन किया जा सकता है।
- भौगोलिक रूप से सन्निहित क्षेत्रों में छोटे समूहों को एक साथ लाकर एक बड़ा समूह तैयार किया जा सकता है। ऐसे बड़े समूहों से अंततः एक महासंघ का गठन किया जा सकता है।
- शुरुआती गतिविधि में प्रथम स्तर के प्रसंस्करण और प्रसंस्कृत उपज शामिल हो सकते हैं या उपज का एक हिस्सा उच्च स्तर के उत्पादकों को भी बेचा जा सकता है।
- कुछ समूह महुआ जैसी स्थानीय उपज से खाना बनाने का सामान बना सकते हैं। गुड़, मूंगफली आदि के साथ महुआ आटे के लड्डू बनाकर आंगनवाड़ियों या स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए भी दिया जा सकता है। यह पोषण का एक अच्छा स्रोत होगा।
- फेडरेशन या बड़े समूह को केंद्रीकृत कार्यों यथा उत्पादन, लेखांकन, विपणन, ब्रांडिंग, प्रशिक्षण, सरकारी एजेंसियों या अन्य हित धारकों के साथ समन्वय हेतु स्वयं या किसी विशेष एजेंसी को अधिकृत करके किया जा सकता है।
- विपणन, ब्रांडिंग, प्रोसेस या समूह के अधिकारियों के प्रशिक्षण (अपनी संबंधित गतिविधियों के लिए) जैसे कार्य विशेष एजेंसियों को सौंपे जा सकते हैं। जैविक उत्पादों और संगठित खुदरा श्रृंखलाओं के लिए शहरी क्षेत्रों में बिक्री आउटलेट से उपज खरीदने के लिए संपर्क किया जा सकता है।
- वित्त का सबसे अच्छा स्रोत वैसे स्वयं सहायता समूह हो सकते हैं। जिनके पास स्वयं के जमा पूंजी के अलावा बैंक वित्त भी उपलब्ध है। बाद के चरणों में सरकारी एजेंसियों से विशेष रूप से बनाए गए कोष या जिला खनन निधि जैसे स्रोतों से धन के लिए संपर्क किया जा सकता है। यह भी प्रयास किया जा सकता है कि क्या कैम्पा फंड का एक हिस्सा वनीकरण गतिविधियों से जोड़कर ऐसी गतिविधियों के लिए समूहों को दिया सकता है। क्राउडफंडिंग भी एक विकल्प है जिससे वनवासियों के समूहों को सशक्त बनाने के लिए शहरी पेशेवरों, उच्च नेटवर्क व समर्थ पूंजी वाले व्यक्तियों से संपर्क किया जा सकता है।

- इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रकार की पहल चुनौतियों से भरपूर होंगी। सबसे पहले, समूह बनाने और सदस्यों को समझाने तथा प्रशिक्षण देने की चुनौतियाँ हैं। हालांकि एक या दो प्रारंभिक सफलता की कहानियां बाद में इन प्रयासों को गति देने में मदद कर सकती है। बिचौलियों के निहित स्वार्थों से प्रतिरोध पर काबू पाना दूसरी बड़ी चुनौती होगी। इस तरह के प्रतिरोध की संभावना को कम करने के लिए इन प्रयासों को एक क्षेत्र में फैले छोटे समूहों में शुरू किया जाना चाहिए। छोटे पैमाने पर प्रसंस्करण को व्यापारियों द्वारा खतरे के रूप में नहीं देखा जा सकता है। इस चुनौती को पार करने में सरकारी सहायता भी बहुत मदद कर सकती है।